पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 2281 /अका./का.प./2005 रायपुर, दिनांक : 9/9/2005

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 31.08.2005 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1	डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
2	डॉ ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	सदस्य
3	डॉ एम.ए.खान	सदस्य
4	डॉ.हर्षवर्धन तिवारी	सदस्य
5	डॉ विभूति राय	सदस्य
6	डॉ एम.आर.झाड़े	सदस्य
7	डॉ डी.डी.वर्मा	सदस्य
8	डॉ ए.के.बंसल	सदस्य
9	डॉ सुश्री हेमलता महोबे	सदस्य
10	डॉ जी.डी.साव	सदस्य
11	श्री रमेश नैयर	सदस्य
12	डॉ सुश्री रुक्मणी शिर्के	सदस्य
13	श्री के.के.चन्द्राकर,कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त -

सर्वप्रथम कुलपति महोदय द्वारा कार्यपरिषद सदस्य के रूप में उपस्थित नये सदस्यों को सभी सदस्यों की ओर से स्वागत किया तथा यह भी विचार रखा कि नये सदस्यों का भी सहयोग अन्य सदस्यों के समान प्राप्त होगा।

कार्य परिषद की दिनांक 06.08.2005 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ६.८.२००५ के कार्यवृत्त में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया -

(1) विषय क्रमांक ७ के निर्णय के द्वितीय पंक्ति में त्रुटिवश *उत्तरपुस्तिकाओं के अंकों में केवल एक दो में अंतर* का उल्लेख है इसे (रेखांकित शब्द) विलोपित किया जाय।

(2) विषय क्रमांक १३ से संबंधित प्रकरण पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधित नस्ती का अवलोकन डॉ हर्षवर्धन तिवारी कार्यपरिषद सदस्य को कराया जावे । यह भी निर्णय लिया गया कि आगे ऐसे प्रकरण आते है तो प्रकरण विस्तृत रूप से कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जावे।

(3) विषय क्रमांक १७ के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रॉक्टर के लिये गये निर्णय के अनुसार उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में संबंधित अध्यादेश में यदि संशोधन आवश्यक है तो संशोधन

सहित प्रकरण पुनः कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जावे। संचालक महाविद्यालय विकास परिषद को इसी प्रकार सुविधा प्रदान करने के संबंध में कुलपति जी ने अवगत कराया गया कि डी.सी.डी.सी. को दूरभाष भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है उन्हें आवश्यकतानुसार वाहन भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। अन्य सुविधाओं के संबंध में संबंधित नियमों का अवलोकन कर १५ दिवस के अंतर्गत इसका निराकरण किया जावे।

(ब) विषय क्रमांक २९ के संबंध में डॉ हर्षवर्धन तिवारी के द्वारा यह जानकारी में लाया गया कि बस्तर परिसर में स्नातक स्तर में ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जावे जो एक साल के बाद संबंधित छात्रों को रोजगार प्रदान करें। इस संबंध में पूर्व में एजुकेशनल टेक्नालॉजी को प्रस्ताव उनके द्वारा भेजा गया था। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर कार्यपरिषद में अनुमोदन के लिये विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(ग) विषय क्रमांक ३० के संबंध में निर्णय लिया गया यदि शासन से श्री अब्दूल महमूद को चिकित्सा के लिये कोई राशि नहीं प्राप्त हुई हो तो उनके द्वारा कराये गये चिकित्सा संबंधित व्यय देयक प्राप्त होने पर पूर्व कार्यपरिषद के निर्णयानुसार प्रतिपूर्ति दी जावे। बशर्ते वे यह सुनिश्चित करते है कि उन्होंने इसका भुगतान अन्य संस्थाओं से प्राप्त नहीं की है तथा इस कार्य हेतु किसी भी संस्थाओं से चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं लिया है।

(घ) विषय क्रमांक २६ में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि डॉ एम.ए.खान अध्यक्ष इतिहास अध्ययन शाला को भी अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप सोसायटी द्वारा विजयश्री एवार्ड से सम्मानित किया गया है कार्यपरिषद की ओर से कुलपति जी द्वारा उन्हें इस सम्मान हेतु बधाई दी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उन्हें भी संबंधित एवार्ड प्राप्त करने के लिये जाने हेतु टी.ए./डी.ए. दिया जावे। उपरोक्त संशोधन के साथ कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ६.८.२००५ के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

2. दिनांक 12.08.2005 को सम्पन्न विद्या परिषद की स्थायी समिति के कार्यवृत्त में दी गई अनुशंसाओं को अनुमोदन प्रदान करना (संलग्न)।

निर्णय अनुमोदित की गई।

3. विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सत्र 2005–2006 के प्रस्तावित बजट प्रावधान की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय i. एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्रदत्त संख्या १०० विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

ii. बी.एड़. के लिये निम्नानुसार फीस निर्धारित किया गया है-

अ. शिक्षण शुल्क - रूपये १६,०००/- प्रति वर्ष

शिक्षण शुल्क रू.१६,०००/- दो किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जा सकेगी -

प्रथम किश्त - प्रवेश के समय - रू.१०,०००.००

द्वितीय किश्त- दिसम्बर माह में - रू. ६,०००.००

ब.राज्य के बाहर से या अन्य राज्यों से आव्रजित छात्रों को रू.१०,०००/- विशेष शुल्क जमा करना होगा।

स. बी.एड. के छात्रों को भी विश्वविद्यालय के अन्य शुल्क प्रवेश के समय जमा करने होंगे।

प्रशासन द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही का अनुमोदन करते हुये सूचना ग्रहण किया।

III. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत् बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये निम्नानुसार पद सृजित किया जावे-

शैक्षणिक पद-

१.	डायरेक्टर/विभागाध्यक्ष	-	१
२.	व्याख्याता	-	७
३.	क्राफ्ट टीचर	-	२

अशैक्षणिक पद-

१.	एकाउटेंट	-	१
२.	टेक्निकल असिस्टेंट	-	१
३.	निम्न श्रेणी लिपिक	-	१
४.	भृत्य	-	१

यह नियुक्ति न्यूनतम ३ वर्ष एवं अधिकतम ५ वर्ष के लिये संविदा आधार पर निर्धारित वेतनमान में विज्ञापन प्रसारित कर एग्रीमेंट करते हुये किया जावे।

IV. अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिये प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया गया।

V. अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिये इम्प्रेस्ट राशि रूपये २०००/- स्वीकृत की गई।

4. विश्वविद्यालय का सत्र 2004–2005 का अंकेक्षण प्रतिवेदन को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय वर्ष १९६४-६५ से वर्ष २००४-०५ तक कुल १४९१ में से कुल १४५७ आपत्तियों का निराकरण किये जाने की सूचना ग्रहण की गई तथा वर्ष २००४-०५ से अभी तक के आडिट आपत्तियों के निराकरण के लिये नियमानुसार कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

5. बस्तर परिसर जगदलपुर के शैक्षणिक गतिविधियों के लिये नियुक्त समन्वयक प्रो. प्रदीप गौराहा के लिये मानदेय निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय डॉ प्रदीप गौराहा समन्वयक बस्तर परिसर को नियमानुसार मानदेय एवं दूरभाष सुविधा प्रदान की जाय।

6. डॉ. एच. व्ही. तिवारी, कार्य परिषद सदस्य द्वारा कार्य परिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्ताव सम्बन्धी प्राप्त पत्र दिनांक 21.07.2005 (संलग्न) के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय डॉ. एच. व्ही. तिवारी, कार्य परिषद सदस्य द्वारा कार्य परिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्ताव सम्बन्धी प्राप्त पत्र दिनांक 21.07.2005 के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

(i) कुलाधिसचिव के कार्य एवं शक्ति के संबंध में परिनियम बनाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त किया जावे।

(ii) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के गठन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जिन प्राधिकरणों के प्राधिकारियों के संबंध में विनियम नहीं है उनका विनियम बनाया जाय।

(iii) अधिकारियों के रिक्त पदों के लिये संबंधित पदों की पूर्ति के लिये शासन से शीघ्र पत्राचार किया जावे।

(iv) विश्वविद्यालय परिनियम/अधिनियम/विनियम के मुद्रण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुद्रण शीघ्र कराया जाय।

(v) विश्वविद्यालय के रद्दी विक्रय प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि परीक्षण द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से कुलपति जी को अवगत कराकर जांच प्रतिवेदन के संबंध में जांच अधिकारी से जानकारी प्राप्त किया जावे कि जाँच की स्थिति क्या है? जांच प्रतिवेदन से जानकारी प्राप्त होने के बाद आगामी कार्यवाही किया जावे।

(vi) विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं विनियम के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कुलपति जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य डॉ ओ.पी.वर्मा, डॉ हर्षवर्धन तिवारी एवं डॉ एम.ए.खान होंगे।

(vii) जिन समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब तक जिनका गठन नहीं हुआ है उनके गठन की कार्यवाही शीघ्र किया जावे।

7. श्री महेन्द्र ठाकुर, यू.डी.सी.–।। (वित्त विभाग में पदस्थ) को पुनः विश्वविद्यालय की सेवा में रखने एवं उनके द्वारा लिए गए ऋण की कटौती करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय श्री महेन्द्र ठाकुर को पुनः सेवा में नहीं लिया जावे। किंतु उनके द्वारा लिये गये ऋण की राशि रूपये १,८७,५०४/- को वसूल करने के लिये राजस्व प्रकरण बनाकर राजस्व विभाग को भेजा जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित अधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले समस्त ऋण स्वीकृत करने के पूर्व वित्तीय नियम का पालन करते हुये आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति एवं वसूली की सुनिश्चितता को भी ध्यान रखे।

8. मयूर कन्या महाविद्यालय, भाटापारा का नाम परिवर्तित कर मयूर महाविद्यालय, भाटापारा करने के प्रस्ताव पर विचार करना ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

9. सांख्यिकी अध्ययन शाला में रू. 467203.98 के अनुपयोगी उपकरणों को अपलेखन (write off) करने हेतु अपलेखन समिति की अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सांख्यिकी विभाग के उपकरणों के अपलेखन के संदर्भ में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गयाकि उनके उपरकणों का यूसिक विभाग से पुनः परीक्षण करा लिया जाय एवं जो उपकरण सुधार कर प्रयोग किया जा सकते है उन्हें यूसिक विभाग द्वारा सुधार कर यू.आई.टी को दिया जाये।

10. विश्वविद्यालय में सेवारत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश की तिथि से आर्थिक लाभ दिये जाने बाबत श्री सुरेश मोहन, कक्ष अधिकारी एवं अन्य के आवेदन पर विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय में सेवारत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश की तिथि से आर्थिक लाभ दिये जाने बाबत श्री सुरेश मोहन, कक्ष अधिकारी एवं अन्य के आवेदन पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि ऐसे कर्मचारियों को (पद रिक्त होने एवं एक ही तिथि को

आयोजित पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर) आर्थिक लाभ उन्हें पात्रता की तिथि से ही दिया जायेगा।

11. उदन्ती महाविद्यालय, देवभोग में बी.ए.भाग–दो राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्नपत्र) की निरस्त की गयी परीक्षा–2005 को छात्रहित में पुनः आयोजित करने बाबत श्री राजकमल सिंघानिया, विधायक–कसडोल के आवेदन पत्र कमांक 2256/2005, दिनांक 27.08.2005 पर विचार करना ।

निर्णय उदन्ती महाविद्यालय के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि उक्त परीक्षा आयोजित नहीं किये जाने एवं इस संदर्भ में पूर्व में जो निर्णय लिया गया है वह यथावत रहेगा।

अध्यक्ष की अनुमति से

12. दूरवर्ती पाठ्यकमों के संचालन के संबंध में।

निर्णय दूरवर्ती पाठ्यक्रम के संबंध में विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यक्रम को अगले सत्र से बंद कर दिया जावे। पिछले सत्र में आयोजित परीक्षा के संदर्भ में कुछ विषयों में कुछ केंद्रों पर सामूहिक नकल होने के प्रकरण प्राप्त हुये है। निर्णय लिया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों में आयोजित सभी विषयों के उत्तरपुस्तिकाओं का सेम्पल परीक्षण करा लिया जावे एवं परीक्षण के उपरान्त यदि उनमें भी सामूहिक नकल की पुष्टि होती है तो उन्हें निरस्त किया जावे तथा जिन केंद्रों एवं परीक्षार्थियों के प्रकरण में नकल की पुष्टि नहीं होती है उनके परिणाम घोषित किया जावे।

13. बस्तर परिसर के पाठ्यक्रमों के अध्यापन हेतु भवन किराये में लेने के संबंध में विचार करना।

निर्णय बस्तर परिसर में चार पाठ्यक्रमों का अध्यापन क्राइस्ट महाविद्यालय जगदलपुर के भवन में किया जा रहा है। अतः निर्णय लिया गया कि उन्हें मैंनेटनेंस हेतु किराये के रूप में रूपये ४०००/- प्रति माह प्रदान किया जाना स्वीकृत किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति 4-9-05

कुलसचिव 4/09/05

पृ. कमांक : 2282 /अका./का.प./2005

रायपुर, दिनांक : 9/9/2005

2005

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, राजभवन छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को ।
3. वित्ताधिकारी,
4. आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।